

## मणपुर में AFSPA को पुनः लागू करना

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

हाल ही में [गृह मंत्रालय \(MHA\)](#) ने अस्थिर सुरक्षा स्थिति तथा हिसा में वदिरोही समूहों की सक्रिय भागीदारी के कारण मणपुर के छह पुलिस थाना क्षेत्रों में [सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम \(AFSPA\)](#) को फिर से लागू किया है।


- मणपुर में वर्ष 1980 से ही AFSPA लागू है तथा बदलते सुरक्षा परदृश्य के आलोक में समय-समय पर इसकी समीक्षा की जाती है।

### पृष्ठभूमि:

- 15 अगस्त 1942 को ब्रिटिशों ने [भारत छोड़ो आंदोलन](#) को दबाने के लिये [सशस्त्र बल विशेषाधिकार अध्यादेश जारी किया](#), जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1947 में "असम अशांत क्षेत्रों" हेतु अध्यादेश जारी किये गये।
  - [सशस्त्र बल \(असम और मणपुर\) विशेष शक्तियाँ अधिनियम, 1958](#) द्वारा असम अशांत क्षेत्र अधिनियम, 1955 का स्थान लिया गया, जैसे आगे चलकर AFSPA द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया।
- अशांत क्षेत्र को AFSPA की धारा 3 के तहत घोषित किया जाता है।
  - वर्तमान में [नागालैंड, असम, मणपुर तथा अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में AFSPA](#) प्रभावी है।
  - [राज्य के राज्यपाल, केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासक एवं गृह मंत्रालय](#) AFSPA के प्रवर्तन को अधिसूचित करने के साथ किसी भी क्षेत्र को अशांत घोषित कर सकते हैं।
- [अशांत क्षेत्र \(विशेष न्यायालय\) अधिनियम, 1976](#) के तहत किसी क्षेत्र को 'अशांत' घोषित करने पर वह लगातार तीन माह तक अशांत की श्रेणी में बना रहता है।

//

# BACK UNDER AFSPA



और पढ़ें: [सशस्त्र बल \(वशिष शक्तियों\) अधिनियम, 1958 \(AFSPA\)](#)

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/reimposition-of-afspa-in-manipur>